(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 1] षष्ठम् विधान सभा के तृतीय सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

मंगलवार,

दिनांक 28 फरवरी, 1978

विधान सभा की बैठक म. प. 12.40 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन की मेज पर रखा गया पत्र अभिभाषण की प्रति

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री सचिव : मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री उमरावसिंह ढाबरिया, सदस्य, विधान सभा के देहावसान पर शोकाभिव्यक्ति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, तारीख 10 दिसम्बर, 1977 को हमारे एक साथी और जनसेवक श्री उमरावसिंह ढाबरिया का निधन हो गया। दुर्भाग्य की बात है कि उनका निधन ऐसे समय पर हुआ, जब कि दो दिन के बाद उनकी पुत्री का विवाह निश्चित किया हुआ था जिस दिन निधन हुआ उसके पूर्व वह अपने मित्रों के साथ विवाह की तैयारी की चर्चा कर रहे थे। उनके परिवार-जन भी वहां बहुत दूर-दूर से पहुंच गये थे। वह सब मिलकर उस मंगलमय अवसर की तैयारी में संलग्न थे। विधि की विडम्बना है कि प्रातः काल पांच बजे उनकी हृदय गति रुक जाने से देहावसान हो गया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस परिवार की और उनके मित्रों की क्या स्थिति हुई होगी। लेकिन यह मानव के अधिकार की बात नहीं है, इस कारण हम सबको उस बात को स्वीकार करना पड़ा और हमें अपने हाथों से उनका दाह-संस्कार करना पड़ा।

श्री उमरावसिंह जी ढाबरिया इस सदन के विधायक तो थे ही लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका भारी योगदान रहा। बचपन में निर्भीकता का स्वभाव होने के कारण उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी निर्भीकता का परिचय दिया। उसके बाद भी अपने राजनीतिक जीवन में वह निरन्तर संघर्ष करते रहे। इस सदन में जब भी वह बोले उनके भाषणों से उनकी निर्भीकता का परिचय मिलता था। सैद्धान्तिक आधार पर उनकी जिस प्रकार की निष्ठा थी उसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति ने कभी बुराई से समझौता नहीं

(2)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
किया, बुराई से संघर्ष किया चाहे परिणाम उनके और उनके परिवार के लिए कितने ही घातक क्यों न हुए हों।

वह सन् 1977 में दूसरी बार विधान सभा के सदस्य चुने गये। जन लेखा समिति के अध्यक्ष बने, इस सदन के एक सक्रिय सदस्य रहे। राजनीतिक जीवन में भी उनका योगदान किसी प्रकार से कम नहीं था।

इस प्रकार का व्यक्ति हमारे बीच में से उठकर चला गया, यह हम सबके दुःख का कारण है। लेकिन जैसा मैंने कहा, परिस्थितियां हमारे काबू में नहीं होती, उसी आधार पर जो कुछ हुआ उसमें हम केवल यही कह सकते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके परिवार को, जिनको इस संकट का सामना करना पड़ा, जो उसे दुःख हुआ, उस दुःख और संकट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

मैं ऐसा समझता हूं इस सदन के सभी माननीय सदस्य उनकी मृत्यु से दुःखी हुए हैं और दुःखी हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शान्ति दे।

श्री **परसराम मदेरणा** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में उमरावसिंह ढाबरिया के निधन से एक निर्भीक व्यक्तित्व, स्पष्ट वक्ता और समाजवादी विचारों का पोषक हम सबने खो दिया। उनका असामयिक और आकस्मिक निधन एक दुःखद घटना है। जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि यह विधि की विडम्बना थी। विधि की मंशा के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हम नत मस्तक हुए उसके किए हुए पर।

उनके आकस्मिक निधन से जो क्षति हुई है हम ऐसा समझते हैं कि वर्तमान में उसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। उन्होंने जिस ईमानदारी से कर्तव्य-निष्ठा का परिचय देकर सार्वजनिक जीवन में जो ऊंचा मान-दण्ड स्थापित किया वह प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रगट करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की आत्मा को सच्ची शान्ति प्रदान करे और शोक-संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उमरावसिंह ढाबरिया एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। सार्वजनिक जीवन में वे हमेशा यह कोशिश करते रहे कि उनकी समाजवादी विचारधारा सामने आये। वह एक निर्भीक व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में हमेशा समाजवादी विचारधारा को सामने रखा। इस विधान सभा में और पिछली विधान सभा में जब वे जीतकर आये, उन्होंने अपनी बात निर्भीकता के साथ इस सदन में रखी। ऐसे व्यक्ति का आज हमारे बीच में से चले जाना एक बहुत ही दुःख का विषय है। परन्तु ईश्वर के सामने और मौत के सामने किसी की भी नहीं चलती।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जिस दिन उनका देहान्त हुआ उससे एक दिन पहले दोपहर के तीन बजे तक जनलेखा संमिति की बैठक में कार्यरत रहे बड़ी लगनशीलता के साथ। जब दूसरे दिन सुबह ही ऐसा मालूम हुआ कि उनका हृदय गति रुक जाने से देहान्त हो गया तब सभी लोग, जो उनके साथी हैं, या उनकी विचारधारा या उनके परिचित हैं, दुःखी हुए। यह दुःख का समाचार था। उसके साथ साथ एक और भी इससे अधिक दुःख यह हुआ कि दो दिन के बाद उनकी पुत्री की शादी होने वाली थी। वे सभी लोगों से शादी में सम्मिलित होने का अनुरोध कर रहे थे। जब भी वह मिलते थे यह कहते थे कि मैं यह कार्य जल्द से जल्द करने जा रहा हूं। तो यह एक और दुःख का विषय है। परन्तु जैसा अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा, ईश्वर के सामने किसी की भी नहीं चलती।

मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक-संतप्त परिवार के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे जिससे की वह इस दुःख को सहन कर सके।

मैं मेरी तथा मेरे दल की ओर से दिवंगत की आत्मा को शान्ति प्रदान करने के लिए व उनके परिवार को जो दुःख है वह सहन करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा ढाबरियाजी से सबसे पहले परिचय सन् 1962 में हुआ जब वह इस सदन के सदस्य थे। हम हमेशा उनकी बुलन्द आवाज अन्याय के खिलाफ सुनते थे, जो कभी भी विधान सभा में हमें सुनने को नहीं मिलेगी। उनका निधन ऐसे मौके पर हुआ जब उनकी बच्ची की शादी होने जा रही थी। यह स्वाभाविक बात है कि जहां उनकी असामयिक मृत्यु उनके परिवार को परेशान करने वाली है वहां उनके तमाम मित्रों को और राजस्थान के मेहनतकश आदमियों को अखरने वाली है।

मैं इस मौके पर शोक संतप्त परिवार के प्रति अपने व अपने दल की ओर से संवेदना प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूं कि सारा सदन और राज्य सरकार अब उनके बच्चों की वारिस बनकर उनको ज्यादा परेशानी से नहीं गुजरने देगी और जितना कर सकती है करेगी।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना): अध्यक्ष महोदय, माननीय ढाबरियाजी के निधन से सदन को क्षति पहुंची है। साथ ही हम जैसे सार्वजनिक जीवन के जो लोग हैं जो उनके साथ थे, उनको खास तौर से महसूस होता होगा कि उनमें कितने गुण थे। पहले वह विरोधी पक्ष में थे, बाद में वह सत्ता पक्ष में रहे। दोनों ही स्थितियों में उन्होंने जिस प्रकार अपना कर्तव्य निभाया, वह मिसाल के तौर पर अविस्मरणीय रहेगा। मैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

उनकी मृत्यु ऐसे समय पर हुई जब उनकी पुत्री का विवाह होने वाला था। मेरा उनके साथ व्यक्तिगत संबंध था। उस दिन शाम को 5 बजे तक मेरे घर पर बैठे रहे। सुबह जब मैं उनसे मिलने गया तो मालूम हुआ कि उनको हार्ट अटेक हुआ है, उनको अस्पताल ले गए हैं।

(श्री शिवचरण सिंह)

वह सत्ता पक्ष में थे, उनके द्वारा सरकार पर अंकुश लगाने की बहुत जरूरत थी। ऐसे समय पर उनका निधन हुआ। यह उनके परिवार के लिए तो क्षति है ही लेकिन सदन की भी क्षति है।

मैं अपनी ओर से और मेरे दल के सदस्यों की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। उनके परिवार को जो असहनीय कष्ट मिला है उसको सहन करने की शक्ति परमात्मा प्रदान करे।

जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, यह जरूरी है सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों के लिए कोई न कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो। आज स्थिति यह है कि उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चे रोजगार में नहीं हैं, इसलिये राज्य सरकार विचार करें कि उनके लिए क्या इंतजाम किया जा सकता है। इस सब के पश्चात् मैं अपने दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, मुझे ढाबरियाजी के साथ काम करने का मौका मिला। ऐसा समय आया जब ढाबरियाजी निराश हो गए और हैदराबाद पहुंचकर एक सिनेमा की नौकरी करली। समाजवादी आंदोलन के दौरान इन्दौर के जिन दो मजदूरों को फांसी की सजा हो गई उन्हें क्षमा याचना दिलाने हेतु कोशिश की गई, उस सिलसिले में जब मैं हैदराबाद पहुंचा तो मुझे ढाबरियाजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ढाबरियाजी को मैंने याद दिलाया कि आपका कार्य क्षेत्र दूसरा है आप यहां आकर कैसे बैठ गये? तो ढाबरियाजी ने कहा, घबराओ मत। आर्थिक थपेड़ों से सम्भलते ही पुनः कार्यक्षेत्र में उतरूंगा। ठीक आगे आकर उन्होंने अपना वही रूप दिखाया जो समाजवादी आंदोलन का था और वह विधायक बने। जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने सदन में और बाहर काम किया उसकी दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। हमारे लोक नायक जयनारायणजी व्यास के सहयोगी श्री गणेशीलाल जी व्यास 'उस्ताद' की कविता मुझे याद आती है:

निडर होकर जीना, उसूलों पे मरना,
वही कर गुजरना जिसे ठीक माने,
यही जिंदगी है, यही जिंदगी है।

ढाबरियाजी वास्तव में इस मंजिल तक पहुंचे थे, वे आज हमारे बीच में नहीं हैं सत्ता पक्ष में होते हुए भी अपनी आवाज निर्भीकता से उठाते रहे और अनुशासनात्मक कार्यवाही में पार्टी से बाहर निकाले जाने का बिना भय खाये सत्ता-पक्ष की खूब छीछालेदारी करते रहे ऐसी मिसाल हम पेश करेंगे तभी हम ढाबरियाजी के पदचिन्हों पर चल सकेंगे। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे।

श्री नूरा (मसूदा): अध्यक्ष महोदय, ढाबरियाजी के विचारों को हमें सदन में सुनने का अवसर मिला। मजदूर और किसान के लिए सही तौर से संघर्ष करके उनको उनके अधिकार दिलाना, निर्भय होकर अपनी बात कहना, ये बातें उनके मुख से हमें सुनने को मिलीं। बातें ही नहीं उनका काम भी ऐसा ही था। हमने उनकी मृत्यु का समाचार जब जालौर में सुना तो बहुत धक्का लगा। जो काम वह छोड़ गए हैं वह जिंदा रहेगा भले ही वह हमारे बीच में न हों। उनकी दुःखद मृत्यु पर मैं अपनी व अपने दल की ओर से संवेदना

(श्री नूरा)

प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि इस दुःख को सहन करने की शक्ति परमात्मा उनके परिवार को देगा।

श्री रतनलाल बर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, 4 तारीख को हमारा एक्सीडेंट हुआ था और मौत के मुंह से हम बचे लेकिन दुःख की बात है कि जल्दी ही ढाबरियाजी चल बसे। यह बात हमने जालौर में सुनी तो हमें ऐसा दुःख हुआ जैसे कोई हमारा सगा भाई हमसे बिछुड़ गया हो।

वे निडर थे और गरीबों की हिमायत करते थे, मजदूरों के साथ थे। हम आज इस दुःख को कैसे सहन कर रहे हैं यह ईश्वर जानते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। यह जरूर कर सकते हैं कि वैसा ही निर्भय व्यक्ति वहां से आए, यह मेरी अभिलाषा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यूं तो ढाबरियाजी के देहांत से जो उनके परिवार को और सदन को घाटा हुआ है, क्षति हुई है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। सच्ची बात तो यह है कि वह मरे नहीं। मरा नहीं वह जो जीया न अपने लिए। वह कभी अपने लिए जीये ही नहीं। उन्होंने कभी परिवार की परवाह नहीं की। हमेशा अन्याय के खिलाफ जूझे वही जुझार होता है। मौत भी ईर्ष्या करे, ऐसी उनकी मौत हुई हंसते हुए। हजारों आदमियों के उनकी मौत पर आंसू निकले। जैसा हमारे नेता ने फर्माया, दो दिन बाद उनकी लड़की की शादी थी। इसलिए यह अत्यंत दुःखद मौत थी। ऐसा प्रसंग जब होता है तो बच्चे बच्चे के आंसू निकल आते हैं।

मैं मुख्य मंत्री और सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने ढाबरियाजी के परिवार वालों की क्षति की ही पूर्ति नहीं की बल्कि उन्होंने उनको यह महसूस कराया कि लड़की ढाबरियाजी की ही नहीं थी हमारी थी। यह उनके परिवार के लिए उनकी पत्नी के लिए सचमुच तसल्ली की बात थी।

ढाबरियाजी बड़े भाई की मौत देख चुके थे। उस समय अर्थी के साथ 5–6 हजार आदमी थे, रो रहे थे। अब तो उमरावसिंहजी भी गए।

परमात्मा हमें अन्याय के विरुद्ध जूझने की ताकत दे ताकि हम कहीं प्रलोभन में न पड़ जायं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे। यही निवेदन करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जब भाई उमरावसिंह ढाबरिया का नाम स्मरण कर रहा हूं तब मेरा दिल भरा हुआ है। आज जब मैं इस सदन में आया और मैंने भाई उमरावसिंह ढाबरिया को नहीं देखा, क्योंकि उनका निधन हो गया है, तो मेरी आत्मा को बहुत ही दुःख हुआ।

अध्यक्ष महोदय, भाई उमरावसिंह ढाबरिया से मेरा सम्बन्ध सन् 1936–37 से है। हम दोनों ही का जन्म ऐसे इलाके में हुआ जो कि सामन्तवादी इलाका था। हम दोनों ही ने एक साथ मिलकर सामन्तवाद

(श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी)

का विरोध किया। दोनों ही सामन्ती वर्ग के खिलाफ में एक जुट होकर जूझे। अध्यक्ष महोदय, भाई उमरावसिंह ढाबरिया ने स्वतन्त्रता संग्राम में जो काम किया वह इतिहास में हमेशा अमिट रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, सामन्तवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के बाद पुराने सामन्त समाप्त हो गये उसके बाद में भारत आजाद हुआ। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा था कि पुराने सामन्त तो समाप्त हो गये लेकिन अब नये सामन्त पैदा हो गये हैं। उन नये सामन्तों ने क्या क्या काण्ड किये उनका भाई उमरावसिंह ढाबरिया ने इस सदन में और जनता के सामने पर्दाफाश किया जो कि राजस्थान के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जब हमारे सदन के माननीय नेता महोदय ने यह घोषणा की कि पुराने राजनेताओं ने जो भी गड़बड़ियां पिछले पांच वर्षों में की हैं उनकी जांच करवायी जायेगी तो भाई उमराव जी ने तत्काल उठकर यह कहा कि पिछले पांच साल की ही क्यों जिन्होंने सन् 1962 से लेकर आज तक जो भी भ्रष्टाचार के काम किये हैं उनकी जांच करवायी जानी चाहिये। हमारे नेता महोदय ने भी उस वक्त तुरन्त यही कहा कि सन् 1962 से लेकर आज तक जितने भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आयेंगे उसकी जांच करवा कर उनके खिलाफ में कार्यवाही की जायेगी। मुझे यह बात दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि उनकी यह बात उनके दिल में ही रह गई। आज वह इस दुनियां में नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि उनके दिल में जो बात थी भ्रष्टाचार के पुराने मामलों की जांच कराने की वह बात अधूरी नहीं रहनी चाहिये। सिर्फ उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देकर ही हमें अपने कर्तव्य को समाप्त नहीं समझना है। अध्यक्ष महोदय, भाई उमरावसिंह ढाबरिया के जो भी जजबात थे उन्हें हम पूरा करना चाहते हैं।

जहां तक उनके बच्चों का सवाल है. हमारे नेता महोदय ने उनकी बेटी की शादी में ढाबरिया जी की मृत्यु का अहसास नहीं होने दिया। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजनीति में काम करने का तजुर्बा उन्हीं को होता है जो लोग राजनैतिक क्षेत्र में काम करते हैं। जब राजनीति में काम करने वाला चला जाता है तब पता लगता है कि उसने क्या काम किया। मैं सदन में यह बताना चाहता हूं कि भाई उमरावसिंहजी ढाबरिया की राजनीति में उस वक्त पहुंच थी जब राजस्थान में राजनीति में काम करने की पहुंच कुछ नहीं थी। उन्होंने उस वक्त लोगों के लिये काम किया और उनकी मदद की। लोगों के साथ एक जुट होकर स्वतन्त्रता आन्दोलन में अंग्रेजों का मुकाबला किया। आज वह जिन्दा रहे या नहीं रहे लेकिन उनके जजबात आज भी जिन्दा हैं और चिरकाल तक जिन्दा रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बार सदन में जब एक बिल की प्रति अंग्रेजी में पढ़ी गयी तो उन्होंने इस सदन में उस बिल की कापी को फाड़ डाला। उनकी इस प्रकार की कार्यवाही के लिये जब लोगों ने उनका मखौल उड़ाया उस वक्त हम सभी लोग उनका मखौल

(श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी)

उड़ाये जाने की कार्यवाही को बैठे बैठे देख रहे थे। मैं समझता हूं कि यह उनकी दिलेरी की बात थी। वह अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजी के खिलाफ थे और हिन्दी के पक्ष में थे इसलिये उन्होंने ऐसा किया। उसी वक्त हमारे सदन के नेता महोदय ने उठकर ढाबरिया जी की जो लोग मखौलें उड़ा रहे थे उन्हें कहा कि यह बात गलत है।

अध्यक्ष महोदय, श्री ढाबरिया जी एक बड़े जिन्दा दिल व्यक्ति थे, मर्द थे। मैं उनका साथी होने के नाते उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उन्होंने जो अपने कार्य क्षेत्र में जो जो काम करने के वायदे किये थे उन्हें पूरा करने का इरादा रखता हूं। एक बार मेरी उनसे बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा कि हमें पांच साल मिले हैं। एक साल तक तो मैं देख रहा हूं शान्तिपूर्ण ढंग से कि किस प्रकार का काम हो रहा है। जो कार्य होना चाहिये अगर वह कार्य नहीं हुआ तो जैसा कि मैंने उनसे कहा था, हम अपने क्षेत्र में जो वायदे करके आये हैं वह पूरे करेंगे। उसके लिये हम जुटेंगे। यह वायदा मैंने उनसे किया था। वह आज इस सदन में नहीं हैं। बहुत ही जल्दी इस दुनियां से चले गये। लेकिन उनके मन में जो तड़फन थी वह आज भी मेरे मन में बरकरार है। उनकी तड़फन को पूरा करने का इरादा हम सभी माननीय सदस्यों को करना चाहिये। भाई उमरावसिंह ढाबरिया मरे नहीं हैं वह आज भी जिन्दा हैं। यह शरीर नाशवान है, शरीर नश्वर है पर आत्मा तो अमर है। जो भी इस दुनियां में आये हैं वह सभी जायेंगे। भाई उमरावसिंह चले गये पर उनकी आत्मा अमर है, उनका नाम हमारे इतिहास में हमेशा रहेगा। आप कैसे मानते हैं कि भाई उमरावसिंह ढाबरिया मर गये हैं? मैं तो कहता हूं कि आत्मा अमर है इसलिये वह मरे नहीं हैं। वह आज भी हमारे साथ में हैं। हमें उनके काम, जो वह अधूरे छोड़ गये हैं, पूरे करने हैं। जो उन्होंने बात उठायी थी उसे पूरा करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे प्रदेश में तथा देश में नया लोकतन्त्र आया है, उसे सुदृढ़ करना है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। अगर हम उसे पूरा कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम भाई उमरावसिंह ढाबरिया को सच्ची श्रद्धान्जलि अर्पित कर सकेंगे।

एक बात और मैं इस मौके पर हमारे सदन के माननीय सदस्यों को और सदन के नेता महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। जब भाई ढाबरियाजी की मृत्यु हुई तब आपने उनके बच्चों की मदद की और यह कहा कि उनके बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। वह हमें हमेशा याद रखना चाहिये चाहे इस सदन के सदस्य रहें या नहीं रहें या सदन के नेता रहें या नहीं रहें हमारी जिम्मेदारियां उनके बच्चों के प्रति हमेशा रहेंगी। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए चाहे हमें मर मिटना भी पड़े जो भी काम वह अधूरे छोड़ गये हैं उन्हें हमें पूरा करना पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई उमरावसिंह जी ढाबरिया की आत्मा को श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह जी ढाबरिया का जन्म सन् 1923 में भूतपूर्व

(श्री अध्यक्ष)

मेवाड़ रियासत के बनेड़ा ग्राम में हुआ था। श्री ढाबरिया जी की शिक्षा बनेड़ा तथा उदयपुर में हुई थी। श्री ढाबरिया जी मेवाड़ राज्य के प्रजा मण्डल के अग्रणी नेताओं में से एक थे। मेवाड में जब किसान मजदूर आन्दोलन हुआ तो उन्होंने उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। वे दो बार जेल भी गये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया जी को मैं अपने भाई के समान मानता हूं। वे सन् 1962 से 1967 तक भी राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे थे। उन दिनों मैं विरोधी पक्ष में बैठा करता था। वह भी विरोधी दल के सदस्य थे। उनके मन में कोई पाप नहीं था और न ही उनके मन में कोई कटुता या बदले की भावना थी।

श्री ढाबरियाजी अपने सिद्धान्तों के प्रति अडिग थे। राजाओं के विशेषाधिकारों के वे खिलाफ थे। इस सदन में जब भी राजाओं के विशेषाधिकार को समाप्त करने की चर्चा होती तो वे बहुत जोरों से विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए विचार व्यक्त करने में पहल करते। इसके बावजूद उनका और मेरा सम्बन्ध बहुत ही सौहार्दपूर्ण था। यह सौहार्दपूर्ण संबंध उनके मरने के, अन्तिम दिन तक बना रहा।

वे एक स्पष्ट वक्ता थे और अन्याय के घोर विरोधी थे। वे एक योग्य विधायक थे। और भीलवाड़ा जिले के अग्रणी नागरिक थे।

उनके निधन के कुछ दिन पहले की बात है, मैं भीलवाड़ा डाक बगले में ठहरा हुआ था। मैं भीलवाड़ा में बॉलीबाल टूर्नामेंट के संबंध में पारितोषिक वितरण करने हेतु गया हुआ था। श्री ढाबरियाजी जब मेरे से मिलने आये तो मैंने उनको बॉली बाल टूर्नामेंट के पारितोषिक वितरण के अवसर पर आमन्त्रित किया। उन्होंने आने में असमर्थता व्यक्त की उन्होंने कहा, आप मेरी लड़की की शादी में आने का निमन्त्रण स्वीकार करें। उस वक्त मुझे यह स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी कि श्री उमरावसिंह ढाबरिया का कुछ ही दिनों के पश्चात् आकस्मिक रूप से निधन हो जायेगा।

वे जनलेखा समिति के सभापति थे। उनमें दक्षता, योग्यता एवं निष्पक्षता थी। वे समिति के अध्यक्ष अन्तिम दिन तक बने रहे।

उमरावसिंहजी के निधन से सदन ने, भीलवाड़ा जिले ने और राजस्थान ने एक अनुभवी, निष्पक्ष और योग्य नागरिक को खो दिया है। उनके रिक्त स्थान की पूर्ति होना कठिन है।

इसके साथ साथ श्री नत्थीसिंहजी द्वितीय विधान सभा के सदस्य रहे। 23-1-78 को उनका निधन हो गया। वह पहाड़ी कामां क्षेत्र से निर्वाचित होकर सदन के सदस्य होकर आये थे।

दोनों माननीय सदस्यों के निधन पर मैं सदन के नेता तथा अन्य माननीय सदस्यों की भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को सम्मिलित करते हुए उनकी आत्माओं की चिरशान्ति के लिये प्रार्थना करता हूं। उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करते हुए माननीय सदस्यों

Page No 9

9

(श्री अध्यक्ष)

से निवेदन करूंगा कि दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगतों की आत्माओं की शान्ति के लिये प्रार्थना करें एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगतों की आत्माओं की शांति के लिये प्रार्थना की एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की कार्यवाही कल बुधवार दिनांक 1 मार्च, 1978 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 1.12 बजे दिनांक 1 मार्च, 1978 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गयी।

परिशिष्ट

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

माननीय सदस्यगण,

मैं विधान सभा के इस बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।

2. यह वर्ष राजस्थान के इतिहास में अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। शांतिपूर्ण चुनावों के द्वारा प्रदेश की जनता ने सत्ता पर एक ही दल के एकाधिकार को समाप्त कर गत जून में जनता पार्टी को शासन की बागडोर सौंपी। इस परिवर्तन के द्वारा जनता ने प्रजातांत्रिक मूल्यों में अपनी आस्था पुनः व्यक्त की। राज्य की आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था में इससे एक नया मोड़ आया। राज्य सरकार ने आठ माह की अल्पावधि में जनता की सुख समृद्धि एवं प्रदेश के विकास हेतु जो प्रयास किये हैं वे आपके सामने हैं।

3. प्रदेश में पंचायती राज को लागू करते समय यह सोचा गया था कि ये संस्थायें सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की महत्वपूर्ण इकाइयां बन सकेंगी। पिछली सरकारों की उदासीनता एवं उनके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में जन्मे निहित स्वार्थों को प्रश्रय देने के कारण धीरे-धीरे ये आशायें धूमिल होती गईं और प्रदेश में पंचायती राज केवल एक ढांचा मात्र बन कर रह गया। 13 वर्षों तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव विभिन्न बहाने बनाकर टाले जाते रहे। चुनावों के द्वारा ही जनता को अपने प्रतिनिधियों के कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। जनता के इस मूलभूत अधिकार का पिछली सरकारों ने हनन किया। इससे पंचायती राज कार्यक्रम में कई विसंगतियां उत्पन्न हुईं। इस विधान सभा के प्रथम सत्र में सरकार ने आपसे यह वादा किया था कि वह पंचायती राज संस्थाओं में प्रजातांत्रिक मूल्यों की पुनः स्थापना के लिये शीघ्र ही चुनाव करायेगी। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि सरकार ने अपने इस संकल्प को हाल ही में सम्पन्न हुए पंचायत चुनावों के द्वारा पूरा कर दिया है। इन चुनावों में ग्रामीण जनता ने बड़े उत्साह से भाग लिया और शांतिपूर्वक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सम्पन्न कराने के लिये प्रशासन हम सब की बधाई का पात्र है। लगभग 9 प्रतिशत सरपंच एवं 12 प्रतिशत पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए। इतनी बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधियों का निर्विरोध निर्वाचन होना ग्रामीण समाज में सद्भाव के वातावरण का परिचायक है। मैं यह कहते हुए गौरव का अनुभव करता हूँ कि राजस्थान ने पंचायतों के चुनाव शीघ्र करा कर अन्य राज्यों के लिए एक नई मिसाल कायम की है।

4. राज्य सरकार द्वारा अपने पूर्व संकल्प के अनुसार सहकारी संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं के चुनाव भी अगले कुछ महीनों में ही करा दिये जायेंगे।

5. पंचायती राज के अध्ययन के लिए भारत सरकार ने श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं में

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

आवश्यक परिवर्तन करेगी। वित्तीय साधनों के अभाव में पंचायती राज संस्थायें ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर पाई हैं। सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि इन संस्थाओं को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाय ताकि वे अपने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। इन संस्थाओं को अब तक पच्चीस पैसा प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान दिया जाता था उसे बढ़ाकर अब ढ़ाई रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप अब इन संस्थाओं को 53 लाख रुपये के स्थान पर प्रतिवर्ष करीब 5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

6. पिछले सत्र को सम्बोधित करते हुए मैंने सरकार के इस संकल्प का उल्लेख किया था कि सरकार कृषि-भूमि सम्बन्धी मामलों का निपटारा गांवों में ही करायेगी ताकि ग्रामीणों को बार-बार राजस्व न्यायालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। राष्ट्रपिता बापू के जन्म दिन 2 अक्टूबर, 1977 से राज्य सरकार ने इस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रदेश में राजस्व अभियान चालू किया। इस अभियान के अन्तर्गत प्रशासन को ग्रामोन्मुख किया गया। ग्राम सभाओं के समक्ष खुली अदालतों में राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। जनता, जन प्रतिनिधि एवं प्रशासन की मिलीजुली त्रिवेणी ने इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। इस अभियान के दौरान लगभग 9 लाख राजस्व मामले निपटाये गये। जिनमें 1.37 लाख व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दिया जाना तथा 5.59 लाख नामांतरकरण तस्दीक किया जाना शामिल है। भूमि पर अपने स्वामित्व का भू-अभिलेखों में अंकन हो जाने से ये 7 लाख परिवार अब कृषि विकास के लिये बैंकों से सुविधापूर्वक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त 62 हजार व्यक्तियों को जिसमें 33,804 व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं, कृषि हेतु भूमि का आवण्टन किया गया। लगभग 72 हजार मामलों में कृषि-भूमि, मकान तथा बाड़ों का नियमन किया गया। लगभग 32 हजार खातेदारों का जिनकी भूमि, सड़क, तालाबों आदि सार्वजनिक कार्यों के लिए अवाप्त करली गई थी, लगान कम किया गया। 7 हजार मामलों में कृषि-भूमि को कृषि-भिन्न कार्यों के लिए उपयोग करने की स्वीकृति दी गई।

7. ग्रामीण जनता की समस्याओं का उनके द्वार पर ही निराकरण करने के इस अभिनव प्रयास की सभी जगह प्रशंसा की गई है। इससे जहां कृषकों को सस्ता व सुलभ न्याय मिला वहीं सरकार के प्रति जनता में एक नई आस्था जगी है। प्रशासन को गांव में जाकर वहां की समस्याओं की जानकारी करने का एक नया अनुभव प्राप्त हुआ है। सरकार इस अभियान की उपलब्धि की समीक्षा कर रही है ताकि इसके आधार पर एक और अभियान चलाया जा सके। इस अभियान की सफलता में राजस्व कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों ने जिस निष्ठा एवं श्रम से कार्य किया वह अनुकरणीय है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

8. कृषि-भूमि का कृषि-भिन्न कार्यों के लिये उपयोग करने पर इस समय कई प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। इन प्रतिबंधों से जहां एक

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

और जनता को बड़ी असुविधाएं होती हैं वहीं और दूसरी ओर प्रदेश के औद्योगीकरण तथा आवासीय समस्या पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। सरकार कृषि-भूमि के कृषि-भिन्न कार्यों हेतु उपयोग की वर्तमान प्रणाली के सरलीकरण के प्रश्न पर गंभीरता-पूर्वक विचार कर रही है और शीघ्र ही इस विषय में अपनी नीति की घोषणा करेगी।

9. उपनिवेशन क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है उनको कब्जा दिलाने तथा जिन लोगों को कब्जा मिल चुका है उनके द्वारा काश्त करने के बारे में इस वर्ष विशेष प्रयास किये गये। कुछ व्यक्तियों द्वारा समय समय पर इस बात का भ्रामक प्रचार किया जाता है कि राजस्थान नहर में भूमिहीन आवंटियों द्वारा भूमि का कब्जा नहीं लिया जाता या कब्जा लेकर काश्त नहीं की जाती। यह बात तथ्यों के विपरीत है। राजस्थान नहर क्षेत्र में 905 आवंटियों द्वारा भूमि का कब्जा लिया जा चुका है। शेष आवंटियों को भी कब्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन आवंटियों ने भूमि का कब्जा ले लिया है उनमें से लगभग 85% व्यक्तियों ने अक्टूबर, 1977 तक आवंटित भूमि पर काश्त शुरू कर दी थी।

10. आप जानते ही हैं कि राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में कई प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से भूमि हथिया ली है। कई व्यक्तियों ने आवंटित कृषि-भूमि का अन्य कार्यों के लिए अनधिकृत रूप से भी उपयोग किया है। ऐसे सभी मामलों की जांच करने के लिए सरकार ने पिछले महीने राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्ति मुख्य न्यायाधीश श्री वी. पी. बेरी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। इस आयोग की स्थापना प्रदेश में भूमि के अवैध रूप से हथियाने एवं उसके दुरुपयोग करने की पुनरावृत्ति को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सदन के समक्ष मैं सरकार के इस संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति आयोग की दृष्टि में दोषी पाया जायेगा चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो सरकार उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगी।

11. यह देश के योजनागत विकास की विडंबना रही है कि लगभग तीन दशकों के योजनाबद्ध प्रयासों के बावजूद भी समाज के निर्धन वर्ग का जीवनस्तर ऊंचा नहीं उठ पाया। प्रत्येक योजना के साथ गरीब और गरीब व अमीर और अमीर होता गया तथा दोनों के बीच की खाई और चौड़ी होती गई। पिछली सरकारों ने गरीब को केवल सब्ज बाग ही दिखाये। गरीबी के उन्मूलन का कोई ठोस कार्यक्रम उन्होंने हाथ में नहीं लिया। वर्तमान सरकार गरीबों के आर्थिक विकास के लिए कटिबद्ध है। गरीब तबके के लिये सरकार ने 2 अक्टूबर, 1977 से अन्त्योदय योजना लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव के 5 गरीब से गरीब परिवारों का चयन तथा उन्हें आर्थिक विकास के साधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य सरकार ने अपने सामने रखा है। यह कार्यक्रम केवल सरकारी कार्यक्रम बनकर ही नहीं रह जाय, इसके लिए ग्रामवासियों को भी इस कार्यक्रम से सम्बद्ध किया गया है। गरीब परिवारों का चयन ग्राम सभाओं में

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

किया गया है तथा उनसे इस सम्बन्ध में राय ली गई है इन गरीब परिवारों को आर्थिक विकास के लिये किस प्रकार की सहायता दी जाये।

12. अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों को सहायता देने के लिये सरकार ने एक विशद कार्यक्रम बनाया है। जहां कृषि-भूमि है वहां उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कृषि-भूमि आवंटित की जा रही है, साथ ही खेती करने के साधन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में दुग्ध-विकास कार्यक्रम चल रहा है वहां दुधारू पशुओं के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जहां सार्वजनिक निर्माण-कार्य चालू हैं वहां ऐसे निर्माण-कार्यों पर इन परिवारों के व्यक्तियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार इस बात का भी प्रयास कर रही है कि जिन अन्त्योदय परिवारों के आवासीय मकान नहीं हैं उनको मकान बनाने के लिये न केवल भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई जाय बल्कि भवन निर्माण के लिये भी सहायता दी जाय। जो परिवार अपने पूर्व अनुभव के आधार पर कोई धंधा कर सकते हैं, उन्हें ऐसे धन्धों के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। अन्त्योदय परिवारों को कुल विनियोग पर 33% अंशदान तथा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, सरकार इस बात का भी प्रयास कर रही है कि अन्त्योदय परिवारों के बच्चों को अगले शिक्षा सत्र में शालाओं में प्रवेश दिलाया जाय तथा उन्हें पढ़ने के लिये आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जायं।

13. इस योजना के क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि जिला व खण्ड स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण हो। राज्य सरकार ने इस योजना से संबधित नीति-निर्धारण करने तथा योजना की समीक्षा करने के लिये मुख्य मंत्री व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दो उच्च-स्तरीय समितियां गठित की हैं। इसी प्रकार एक समिति का गठन जिला स्तर पर भी किया गया है। इन समितियों में जन प्रतिनिधियों व समाजसेवियों को भी सम्मिलित किया गया है। माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि पांच माह की अल्पावधि में सरकार ने 1.54 लाख गरीब परिवारों का चयन कर लिया है। इनमें से अब तक लगभग 20 हजार परिवारों को भूमि का आवण्टन कर दिया गया है तथा लगभग 19 हजार परिवारों को वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेंशन दी जा चुकी है। इस समय 10 हजार से भी अधिक ऋण प्रार्थना-पत्र बैंकों के पास विचाराधीन हैं। लगभग 5,000 परिवारों को ऋण तथा अंशदान या अन्य प्रकार की सहायता दी गई है।

14. अन्त्योदय योजना एक कठिन किन्तु महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि गरीब को राज्य की समृद्धि एवं खुशहाली में अपना पूरा हक एवं हिस्सा मिले। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस क्रांतिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सक्रिय सहयोग देंगे।

15. राज्य में इस वर्ष अतिवृष्टि तथा कई जिलों में बाढ़ की स्थिति से खरीफ की फसलों में काफी नुकसान हुआ है। हाल ही में हुई वर्षा से रबी की फसलों को अवश्य

Page No 14

(१५)

(राज्यपाल महोदया का अभिभाषण)

लाभ पहुंचा है। कृषि उत्पादन हेतु इस वर्ष 1 करोड़ 77 लाख की राशि के तकावी ऋण सरकार के द्वारा वितरित किये गये। सहकारी संस्थाओं द्वारा 25 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण अब तक वितरित किये जा चुके हैं तथा वर्तमान सहकारी वर्ष की समाप्ति तक कुल 75 करोड़ रुपये वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

16. राजस्थान नहर परियोजना एवं चम्बल परियोजना-क्षेत्र में कृषि-विस्तार सेवा के अनुभवों के आधार पर राज्य के 17 जिलों में विश्व बैंक की सहायता से 24 करोड़ रुपये के विनियोग का एक "कृषि एवं अनुसंधान कार्यक्रम" प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को कृषि की नवीनतम पद्धतियों की निरंतर जानकारी करवाई जायेगी जिससे वे कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकें। आज राजस्थान में प्रति हैक्टेयर रासायनिक खादों की खपत देश की औसत खपत से कम है। मुझे विश्वास है कि इस योजना की क्रियान्विति से कृषि-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सकेगी।

17. अब तक सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि एवं उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में ही विनियोग किया जा सकता था। पश्चिमी क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने भारत सरकार से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजना को भी सम्मिलित करने का अनुरोध किया। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार के इस अनुरोध को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है और अब इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को भी लिया जा सकेगा। इस वर्ष 13 पेयजल योजनाएं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं जिनसे लगभग 50 हजार व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

18. मरुस्थल विकास के लिये एक कार्यक्रम इस साल भारत सरकार की सहायता से चालू किया गया है। इसके अन्तर्गत मरुस्थल के ऐसे जिलों में भी जो सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते। कृषि, दुग्ध विकास, ग्रामीण उद्योग, पेयजल योजनाओं आदि के कार्य हाथ में लिये जा सकेंगे।

19. कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के लिये उन्नत बीजों को आवश्यकता होती है। अब तक उन्नत बीज राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से प्राप्त किये जाते थे। अब राज्य में उन्नत किस्म के बीजों की कमी को पूरा करने के लिये 6.78 करोड़ रुपये की एक योजना विश्व बैंक की सहायता से लागू की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में एक बीज निगम की स्थापना की जायेगी। बीजों की प्रामाणिकता बनाये रखने के लिये स्वतंत्र रूप से एक बीज प्रमाणीकरण संस्थान का गठन किया जा चुका है।

20. कृषि-विपणन के विकास हेतु राज्य में 17 स्थानों पर कृषि पुनर्वित्त विकास निगम की सहायता से विपणन क्षेत्रों का निर्माण-कार्य किया जा रहा है। 11 नये विपणन क्षेत्रों के विकास हेतु 6.78 करोड़ रुपये की योजनायें कृषि पुनर्वित्त निगम के समक्ष विचाराधीन हैं। कृषि उपज मंडियों के

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है। इस मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार से भी सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

21. इस समय राज्य में कृषि पुनर्वित्त निगम की सहायता से 66 लघु सिंचाई योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। 37 योजनायें इस समय कृषि पुनर्वित्त निगम के समक्ष विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त 28 योजनायें शीघ्र ही कृषि पुनर्वित्त निगम को स्वीकृति हेतु भेजी जायेंगी। इन लघु सिंचाई योजनाओं से चालू वर्ष में 29 हजार एकड़ क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई होने की सम्भावना है। इस वर्ष इन योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 6 करोड़ रुपये की राशि के ऋणों का वितरण किया जायेगा।

22. राज्य में केन्द्रीय सरकार की सहायता से 6 लघु कृषक विकास अभिकरण चल रहे थे। इस वर्ष राज्य सरकार ने 10 नये लघु कृषक विकास अभिकरण अपने साधनों से जयपुर, टौंक, सवाई माधोपुर, सिरोही, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सीकर, झुंझुनूं व गंगानगर जिलों में चालू किये हैं। लघु कृषक विकास अभिकरणों द्वारा दिसम्बर, 1977 तक 63 हजार लघु व सम सीमान्त कृषकों व खेतिहर मजदूरों को 5 करोड़ 14 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया।

23. सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि सहकारी आधार पर राज्य में भेड़ विकास का कार्य किया जाये ताकि बिचोलियों की समाप्ति हो सके। इस कार्य हेतु सरकार ने राजस्थान भेड़ व ऊन सहकारी मण्डल की स्थापना की है। आशा है कि सहकारी आधार पर भेड़ विकास कार्यक्रम सफलता प्राप्त करेगा।

24. अब तक राज्य में दुग्ध विकास कार्यक्रम को दो अलग संगठनों के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था। अब इस कार्य को एकीकृत रूप से करने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का गठन किया गया है। अगले वर्ष टौंक-सवाई माधोपुर, सीकर-झुंझुनूं, कोटा व उदयपुर में दुग्ध परियोजनायें लागू की जायेंगी तथा बाड़मेर, फलौदी, राजगढ़, ब्यावर, विजयनगर, दौसा, कोटपूतली, तिजारा, नदबई, हिण्डौन व बांसवाड़ा में अवशीतन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जोधपुर व बीकानेर डेयरी का विस्तार किया जायेगा। पोकरण, पाली, बालोतरा, मेड़ता सिटी, लूणकरणसर, सरदार शहर व मालपुरा के अवशीतन केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

25. मत्स्य विकास पर भी राज्य में महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। अजमेर, सवाई माधोपुर व कोटा में मत्स्य विकास अभिकरणों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को योजना भिजवाई गई है। मत्स्य पालन के एकीकृत विकास के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि राज्य में मत्स्य पालन का कार्य सहकारिता के आधार पर हो। इसकी शुरुआत से इस वर्ष जयसमन्द झील में मछली के ठेके बन्द कर मत्स्य विकास का कार्य अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सहकारी समितियों को दे दिया गया है।

26. राजस्थान नहर व चम्बल परियोजना क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से क्षेत्रीय विकास कार्य प्रगति पर है। चम्बल

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)·

परियोजना क्षेत्र के कार्य की गति को तेज करने के लिये भारत सरकार ने हमारा यह अनुरोध मान लिया है कि जिन कृषकों के खेतों पर भूमि विकास का काम किया जाय उन्हें रबी की फसलों की एवज में समुचित मुआवजा दिया जाय। आशा है इस निर्णय के फल-स्वरूप इस परियोजना में तेजी से कार्य हो सकेगा।

27. इस वर्ष उत्तर पश्चिमी भाखड़ा व गंग नहर क्षेत्रीय विकास परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 11.7 करोड़ रुपये होगी। माही बजाज सागर तथा अन्य मध्यम तथा वृहद् परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र के विकास के लिये भी इसी प्रकार की क्षेत्रीय विकास योजनायें बनाई जा रही हैं।

28. राजस्थान नहर के प्रथम चरण में आने वाले जिस क्षेत्र में अभी क्षेत्रीय विकास योजना कार्यक्रम लागू नहीं किया गया है उस क्षेत्र के विकास के लिये 112 करोड़ रुपये की एक परियोजना तैयार की गई है। आशा है कि विश्व बैंक से इसके लिए सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

29. राजस्थान नहर के द्वितीय चरण के शीघ्र निर्माण के लिए सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। जहां एक ओर इस योजना के लिए राज्य सरकार अपने साधनों से अपेक्षाकृत अधिक राशि खर्च कर रही है वहां दूसरी ओर इस कार्य हेतु बाह्य सहायता प्राप्त करने के प्रयास भी जारी हैं।

30. सरकार प्रदेश में सिंचित क्षेत्रफल बढ़ाने का भी पूरा प्रयत्न कर रही है। इस वर्ष भारत सरकार से 7.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राजस्थान नहर, माही बजाज सागर, जाखम व अन्य मध्यम परियोजनाओं के लिए प्राप्त की गई। सरकार सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण की ओर विशेष ध्यान दे रही है। अगले वर्ष सरकार जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण करने के पश्चात् वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजनायें बनायेगी।

31. पिछले सत्र में मैंने कुओं से सिंचित क्षेत्रों में जल का रिसाव रोकने तथा जल संरक्षण के लिए कुओं पर पक्की नालियां बनाने की योजना का उल्लेख किया था। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्य की 164 पंचायत समितियों के लिए 22.63 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना बना ली गई है।

32. विद्युतीकरण के क्षेत्र में चालू वर्ष में काफी प्रगति हुई है। राजस्थान अणु-शक्ति केन्द्र के गत जुलाई माह में बन्द हो जाने से उत्पन्न विद्युत् शक्ति की कमी को अन्य विद्युत् संस्थानों से बिजली खरीद कर तथा बिजली का उत्पादन बढ़ाकर पूरा करने का प्रयास किया गया। इस वर्ष 27 नई ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं स्वीकृत की गई। 745 गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 14,350 कुओं पर बिजली दी गई। चालू वर्ष में अब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की 107 बस्तियों में बिजली उपलब्ध कराई गई है। विद्युतिकरण की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र पर किये जा रहे विनि-योजन में अगले वर्ष वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

33. ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरिंग आदि के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाई को देखते हुए सरकार कृषि कार्यों में विद्युत् के उपयोग पर फ्लेट रेट लगाने के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

34. सरकार प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा अब तक राज्य के 6 जिलों में विनियोग के लिए अंशदान दिया जाता था। राज्य के 10 अन्य पिछड़े जिलों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष अपने साधनों से अंशदान देने का निर्णय लिया है। अन्य जिलों में भी ऐसी सुविधा देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। इसी प्रकार शिक्षित बेरोजगारों को मार्जिन राशि के लिए ऋण देने की एक योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत स्थाई पूंजी के लिए 15 प्रतिशत एवं कार्यकारी पूंजी के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन राशि ऋण 4 प्रतिशत ब्याज की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

35. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए लघुतर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 5 उद्यमी भी उद्योग लगाने को तैयार हैं वहां लघुतर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे। इस योजना का उद्यमियों ने स्वागत किया है। इस वर्ष 37 ऐसे लघुतर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।

36. राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम की सहायता से कपड़े की दो मिलें इस वर्ष बांसवाड़ा एवं अलवर में चालू हो जायेंगी। निगम इण्डियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सहयोग से दवाइयों का एक कारखाना भी अगले वर्ष लगायेगा। इसी प्रकार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के सहयोग से घड़ियों के एक कारखाने की स्थापना का कार्य भी अगले वर्ष प्रारम्भ हो सकेगा। ग्रेनाइट कटिंग एवं पोलिशिंग की एक फैक्ट्री का निर्माण भी 1978-79 में पूर्ण होने की सम्भावना है। हाथ करघा सघन विकास योजना के अन्तर्गत अब तक 4,200 करघे स्थापित किये गये हैं। शेष 1,800 करघे भी शीघ्र ही लगा दिये जायेंगे। हाथ करघा सघन विकास क्षेत्र के बाहर भी 1,000 करघे लगाने की योजना लागू की है।

37. राज्य में खादी उत्पादन के लिए पिछले दिनों विशेष प्रयास किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारण्टी पर राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को 108 लाख रुपये का ऋण बैंकों द्वारा खादी उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया गया है। इस वर्ष खादी का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 करोड़ रुपये अधिक होने की सम्भावना है।

38. इस वर्ष 3 कृत्रिम धागे बनाने के कारखानों व 25.520 वूलन स्पिण्डलों के अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किये गये जो एक नया कीर्तिमान है। बड़े उद्योगों के लिए 15 आशय पत्र एवं 17 लाईसेन्स भारत सरकार द्वारा जारी किये गये।

39. गंगानगर शूगर मिल्स के आधुनिकीकरण हेतु 1.62 करोड़ रुपये की एक

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

योजना तैयार की गई है। इस कार्य हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से 1.34 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

40. औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में उद्यमियों को जो सुविधायें दी जाती हैं उनका सरकार ने एक अध्ययन करवाया है। इस अध्ययन के आधार पर नये उद्योगों को स्थापित करने हेतु सहायता देने की वर्तमान प्रणाली में आवश्यक संशोधन सरकार द्वारा शीघ्र ही किया जायेगा। सरकार विभिन्न उद्यमियों को राजस्थान की ओर आकर्षित करने तथा समुचित प्रोत्साहन देने के सभी उपायों पर विचार कर रही है। राजस्थान में संभावित उद्यमियों को ढूंढ निकालने तथा उन्हें उद्योग लगाने के लिये प्रेरित करने की दिशा में सरकार अगले वर्ष विशेष कारगर कदम उठायेगी।

41. राजस्थान में खनिज क्षेत्रों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। खनिज क्षेत्र के विकास की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष खनिज क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। जहां वर्ष 1976-77 में केवल 41 किलो मीटर लम्बाई की 6 सड़कों के निर्माण के लिए 21 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे वहां इस वर्ष 152 किलो मीटर लम्बी 27 सड़कों के निर्माण हेतु 72 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। 2,000 नये खनन् क्षेत्रों का आवण्टन भी इस वर्ष किया गया जिससे लगभग 10,000 लोगों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

42. राजस्थान में चूने के पत्थरों का विपुल भण्डार है जिन पर आधारित कई सीमेन्ट के कारखाने स्थापित हो सकते हैं। इसमें मुख्य कठिनाई रेल्वे के पास माल ढोने की पर्याप्त क्षमता न होने की है। राज्य सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि भारत सरकार राज्य में 4 बड़े सीमेन्ट कारखाने लगाने की अनुमति दे दें। इसके अतिरिक्त निजी सीमेन्ट कारखाने लगाने की सम्भावनाओं पर भी सरकार विचार कर रही है। खनिज विभाग ने नये खनिज भण्डारों की खोज के लिये सर्वेक्षण का कार्यक्रम भी हाथ में ले रखा है। इस वर्ष 32 परियोजनाओं को खनिज सर्वेक्षण एवं पुनर्वीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया। सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि झामर कोटड़ा के रॉक फास्फेट की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए एक बेनीफिसीयेशन प्लाण्ट लगाया जाय।

43. पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन विकास निगम बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

44. वनों के पुनरुत्थान के लिये सरकार विशेष प्रयत्न कर रही है। जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वनों के पुनरुद्धार एवं पुनर्रोपण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार 'कार्य हेतु अनाज' योजना का भी उपयोग वन विभाग के कार्यों में बड़े पैमाने पर करने का प्रयास कर रही है। वन विभाग से संबंधित परियोजनायें बनाने के लिये एक

Page No 19

(19)

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। जनजाति क्षेत्र में बिचोलियों द्वारा होने वाला शोषण समाप्त करने के लिये सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि लघु वन उत्पादों का संकलन एवं विक्रय जनजाति विकास निगम के द्वारा ही हो।

45. राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में चिकित्सा सुविधाओं में काफी पिछड़ा हुआ है। सरकार ने इस वर्ष 105 चिकित्सालय तथा 203 सहायता केन्द्र स्वीकृत किये हैं। इसके अतिरिक्त 173 आयुर्वेदिक, 5 यूनानी व 22 होम्योपैथिक चिकित्सालय भी खोले गये हैं। चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र के अतिरिक्त 2 चिकित्सालय तथा एक सहायता केन्द्र स्थापित किये जायें। इस वर्ष 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 रोगी शय्याओं वाले रेफरल अस्पतालों में परिवर्तित किया गया है तथा 14 जिला अस्पतालों को क्रमोन्नत किया गया है।

46. राज्य में 2 अक्टूबर, 1977 से ग्रामीण स्वास्थ्य योजना लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत एक हजार की आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक जनस्वास्थ्य रक्षक की व्यवस्था की जायेगी। जनस्वास्थ्य रक्षक का चयन ग्राम निवासियों द्वारा किया जायेगा। 516 जनस्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण के बाद इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत हो गये हैं। 544 जनस्वास्थ्य रक्षक इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

47. राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु जनता का सहयोग आवश्यक है। सरकार ने चिकित्सालयों के विकास के लिये तीन करोड़ रुपये के एक कोष की स्थापना करने का निश्चय किया है। यह कोष मुख्य मंत्री चिकित्सालय कोष के नाम से जाना जायेगा। इस कोष में डेढ़ करोड़ रुपये की राशि जनता से सहायता के रूप से प्राप्त की जायेगी। इस कोष की राशि के विनियोग से अनुमानतः प्रतिवर्ष 30 लाख रुपये की आय होगी। इस कोष के नियमों में इस बात का प्रावधान रखा गया है कि सहायता वहीं दी जाय जहां बराबर का योगदान जन सहयोग से उपलब्ध हो। इस प्रकार प्रतिवर्ष 60 लाख रुपये राज्य के विभिन्न भागों में चिकित्सालयों के भवन निर्माण व उपकरण आदि पर खर्च किये जा सकेंगे। मुझे विश्वास है कि राज्य की जनता व प्रवासी राजस्थानी इस कोष में मुक्त हस्त से सहायता देंगे। यह एक कल्याणकारी कार्य है जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है।

48. आपात्काल में हुई ज्यादतियों के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम में कुछ समय के लिये शिथिलता आना स्वाभाविक था। दबाव डालकर व आतंक फैलाकर आपात्काल में जिस प्रकार लोगों के आपरेशन कराये गये उससे इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को बहुत धक्का लगा है। अक्टूबर-नवम्बर, 1977 में विशेष दलों का गठन कर आपात्कालीन स्थिति में हुई नसबन्दियों के जिन मामलों में जटिलतायें उत्पन्न हो गई थीं उनका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपचार करवाया गया। लोगों में पुनः इस कार्यक्रम के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिये तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने ऐसे सभी मामलों का ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

ताकि प्रभावित व्यक्तियों को समुचित सहायता दी जा सके। सरकार इस कार्यक्रम को स्वैच्छिक तौर पर चला रही है। परिवार कल्याण के कार्य को गति देने के लिये सरकार विशेष प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम का देश के आर्थिक विकास से सीधा सम्बन्ध है। अतः माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे भी इस कार्यक्रम की सफलता में अपना पूरा योगदान दें। देश की भावी समृद्धि परिवार कल्याण की सफलता के साथ जुड़ी हुई है।

49. सरकार राज्य में पेयजल की समस्या का निराकरण करने के लिए वचनबद्ध है। राज्य के 181 नगरों में से 179 नगरों में पेयजल वितरण का प्रबन्ध हो गया है। शेष 2 नगरों में भी जल प्रदाय योजनाओं का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। आज सरकार के सामने एक प्रश्न तो नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन का है व दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का है। पेयजल योजनाओं के लिये विशेष सहायता प्राप्त करने के लिये सरकार ने विश्व बैंक से प्रारम्भिक वार्ता की है। वार्ता के दूसरे दौर के लिये विश्व बैंक का एक दल सम्भवतः मार्च या अप्रेल में जयपुर आयेगा। सरकार ने इस कार्य हेतु 158 करोड़ रुपये की सहायता विश्व बैंक से चाही है। विश्व बैंक से वार्ता के पश्चात् सरकार इस कार्य हेतु एक स्वायत्तशासी संगठन की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय लेगी।

50. सड़कों की दृष्टि से भी राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सड़कों पर चालू वर्ष में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक विनियोग किया है। इस समय लगभग 40 करोड़ रुपयों की लागत के सड़कों के कार्य चल रहे हैं। सबसे अधिक प्राथमिकता 5,000 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने को दी गई है। सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि सड़कों के विकास के लिये भारत सरकार से प्राप्त राशि, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के साधनों तथा सरकार के बजट में उपलब्ध राशि का समन्वय किया जाये। सरकार ग्रामीण सड़कों के लिये 'कार्य हेतु अनाज' की योजना के अन्तर्गत भी बड़े पैमाने पर विनियोजन करने का प्रयत्न कर रही है।

51. राज्य के सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए आज इस बात की आवश्यकता है कि सड़कों पर होने वाले विनियोग की प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाये। कच्ची सड़कों तथा पुलियाओं का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विकास केन्द्रों को अपने आसपास के क्षेत्र से जोड़ना भी अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में एक योजना बनायेगी ताकि ये विकास केन्द्र ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें।

52. सरकार ने बड़े पुलों के निर्माण के लिये वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने हेतु एक पुल निर्माण निगम बनाने का प्रस्ताव सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। आशा है इस निगम की स्थापना से राज्य में अनेक बड़े पुलों का निर्माण संभव हो सकेगा।

53. नगरपालिक क्षेत्रों में स्वायत्त शासन विभाग ने दिसम्बर, 1977 में जन

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

समस्याओं के निराकरण हेतु एक विशेष-अभियान का आयोजन किया जिसके अन्तर्गत इन स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा शहरों के विभिन्न हिस्सों में मौके पर जाकर भवन निर्माण की स्वीकृति, गृहकर, पट्टों के वितरण, कच्ची बस्तियों में सुधार, गलियों में रोशनी की व्यवस्था आदि से संबंधित 19,000 मामलों का निपटारा किया गया।

54. सरकार नगरीय आवास और विशेषकर कच्ची बस्तियों की समस्या के प्रति जागरूक है। इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जिन राज्यों में कच्ची बस्तियों के सुधार की दिशा में पूर्व में अच्छा काम हुआ है उसका भी अध्ययन कराया जा रहा है ताकि उनके अनुभवों से हम लाभ उठा सकें। कृषि-भूमि के आवासीय उपयोग की वर्तमान पद्धति के सरलीकरण के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही इस सम्बन्ध में सरकार अपनी नीति की घोषणा करेगी।

55. शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार ने इस वर्ष 11 नये महाविद्यालय खोले तथा 15 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत किया। छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए महाविद्यालयों में 100 सेक्शन विभिन्न विषयों में खोले गये। इस वर्ष राज्य में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का भी काफी विस्तार हुआ। चालू वर्ष में 586 प्राथमिक विद्यालय, 420 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 350 माध्यमिक विद्यालय नये खोले गये। प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार के लिए भी विशेष प्रयास किये गये।

56. अनुसूचित जाति, जन-जाति एवं अल्प संख्यकों के हितों के प्रति सरकार जागरूक है। इन वर्गों की सुरक्षा के लिए सरकार ने समुचित प्रबन्ध किये हैं। जहां कहीं कुछ छुटपुट घटनाएं घटी हैं वहीं प्रशासन ने मुस्तैदी से दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए समुचित कदम उठाये हैं। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि राज्य में आज साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति विद्यमान है। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए यह एक शुभ संकेत है।

57. अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों की सुविधा के लिए सरकार ने इस वर्ष उनके लिए चलने वाले छात्रावासों में 2,592 सीटें और बढ़ाई हैं। इसी प्रकार पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति पा रहे छात्रों की संख्या में भी 5,580 की वृद्धि की गई है। इन छात्रावासों की व्यवस्था में भी आवश्यक सुधार किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक विकास के कई कार्यक्रम हाथ में लिए गये हैं।

58. सरकार ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कानून बनाने का निश्चय किया है। इसके अन्तर्गत भिखारियों के लिए भिक्षुक गृह स्थापित किये जायेंगे तथा व्यावसायिक रूप में भिक्षा मांगने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। भिखारियों को पुनर्वास के लिए समुचित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

59. राज्य में इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाढ़ एवं अतिवृष्टि से राज्य के विभिन्न हिस्सों में जन-धन की भारी हानि हुई। बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों, तालाबों तथा

22

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

सड़कों की मरम्मत के लिए 9.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 87.50 लाख रुपये का तकावी ऋण, लगभग 56 लाख रुपये की नकद सहायता तथा खाद्यान्न वितरित किया। खरीफ की फसलें खराब हो जाने के कारण अब तक 12,200 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जा चुका है। सरकार ने 49.50 लाख रुपये की राशि अभावग्रस्त जिलों में राहत कार्य चालू करने के लिए स्वीकृत की है। इस समय लगभग 16,000 श्रमिक विभिन्न जिलों में राहत कार्यों पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ष यह भी निर्णय लिया है कि राहत कार्यों पर लगे स्त्री व पुरुष श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाय।

60. राज्य तथा केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाये हैं। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि इन प्रयत्नों के फलस्वरूप मूल्यों की वृद्धि न केवल रुकी है बल्कि कई वस्तुओं के मूल्य अपेक्षाकृत गिरे भी हैं। राज्य सरकार ने जमाखोरी व मुनाफाखोरी को रोकने के लिये मुनाफाखोरों व जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की है। बड़े पैमाने पर माल का भौतिक सत्यापन किया गया है तथा अवैध माल को जब्त किया गया है। जिला सतर्कता समितियों तथा मोहल्ला सतर्कता समितियों का पुनर्गठन भी किया गया है ताकि मूल्यों की वृद्धि रोकने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त हो सके। उचित मूल्यों की दुकानों से अनाज, चीनी व अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु विशेष कदम उठाये गये हैं।

61. आपातकाल में श्रमिकों पर कुठाराघात किया गया तथा बल के जरिये उनकी मांगों को दबाया गया। चुनावों के बाद भय और आतंक का यह वातावरण हट गया। विभिन्न प्रतिष्ठानों में श्रमिकों ने अपनी मांगें प्रबन्धकों के समक्ष रखीं। इन मांगों को लेकर हड़तालें भी हुई पर सरकार ने श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच में सद्भाव का वातावरण बनाने का प्रयास किया और श्रमिकों के विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाया। आज प्रदेश में विद्यमान औद्योगिक शांति सरकार की कुशल श्रम नीति की परिचायक है। राज्य सरकार जहां एक ओर श्रमिकों के हितों के प्रति जागरूक है वहीं राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए भी कृत संकल्प है। सरकार की यह धारणा है कि औद्योगिक विवादों का निपटारा श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के आपसी सहयोग एवं सौहार्द से हो जिससे राज्य के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

62. बेरोजगारी की समस्या को सरकार एक गम्भीर आर्थिक एवं सामाजिक समस्या मानती है। इस समस्या के निराकरण हेतु इस वर्ष सरकार द्वारा कई प्रभावकारी कदम उठाये गये। योजना तथा अन्य विकास व्ययों के विनियोजन से इस वर्ष लगभग 4 लाख व्यक्तियों को रोजगार सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अगले वर्ष योजनागत व्यय को बढ़ा कर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

63. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति इस वर्ष संतोषप्रद रही। यद्यपि पिछले आठ महीनों में कई प्रदर्शन और हड़तालें हुई लेकिन प्रशासन ने बड़ी सूझ-बूझ और कुशलता से इस स्थिति का सामना किया। इसके फलस्वरूप राज्य में कहीं बल प्रयोग करने की स्थिति नहीं बनी। अपराध नियंत्रण तथा अपराधों का पता लगाने की दिशा में सक्रिय कदम उठाये गये हैं। पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के प्रयास किये जा रहे हैं। अपराध अनुसंधान कार्य की सुविधा के लिए अपराध अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण किया जा रहा है। पुलिस कर्मचारियों की सेवा स्थिति सुधारने के लिए उनके मेस भत्ते में वृद्धि की गई है।

64. सरकार ने कारागार सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। बंदियों को दी जाने वाली भोजन सामग्री तथा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि की गई है। बंदियों को शिक्षा एवं मनोरंजन की भी अधिक सुविधायें दी गई हैं। कारागार संहिता के संशोधन का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है।

65. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पुनर्गठन की योजना के अन्तर्गत विशेष जांच तथा विशेष गुप्तचर इकाइयों की स्थापना की गई है ताकि यह विभाग भ्रष्टाचार उन्मूलन में अपनी भूमिका कारगर ढंग से अदा कर सके। सरकार ने अपने कार्यों से प्रदेश में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु एक उपयुक्त वातावरण तैयार किया है। राजस्व अभियान में खुली अदालतों में 9 लाख मुकदमों के निपटाने से भ्रष्टाचार मिटाने में बड़ी सहायता मिली है।

66. इस समय राज्य में 10 जिलों व 13 तहसीलों में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया हुआ है। सरकार राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने के लिए कृत संकल्प है। शीघ्र ही सरकार मद्य निषेध नीति की घोषणा करेगी।

67. सरकार प्रशासन में हिन्दी के अधिक से अधिक उपयोग के लिये कृत संकल्प है। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम सरकार ने इस वर्ष उठाये हैं।

68. प्रशासन में सुधार लाने तथा उसको जनकल्याण की ओर प्रेरित करने के लिये राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। राजस्व अभियान में प्रशासन द्वारा ग्रामीण जनता की समस्याओं को निपटाने की उपलब्धि का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। नीति निर्धारण एवं समन्वय हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। विभागों के कार्यों की समीक्षा करने हेतु मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समन्वय बैठकों के आयोजन की नई व्यवस्था लागू की गई है। क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार ने मंत्रि-मण्डल की बैठकें विभिन्न क्षेत्रों में करने का भी निर्णय लिया है।

69. राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयत्नशील है। राज्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, वेतन-स्थिरीकरण तथा पेंशन सम्बन्धी सभी पुराने मामलों को मई, जून, जुलाई माहों में एक अभियान चलाकर निपटाया जायेगा।

70. सरकार को इस बात का अहसास है कि प्रदेश की जनता की उससे बहुत

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

आशायें हैं और इसीलिए वह अपने सीमित साधनों के अधिकतम उपयोग के साथ साथ भारत सरकार व वित्तीय संस्थाओं से प्रदेश के लिये अधिक से अधिक विनियोग प्राप्त करने की चेष्टा कर रही है। सरकार ने भारत सरकार व वित्तीय संस्थाओं के सामने राजस्थान के पिछड़ेपन व उसकी अब तक की गई उपेक्षा के प्रश्न को दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है। इस प्रयास के विभिन्न क्षेत्रों में शनैः शनैः अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। प्रदेश का विकास जनता, जन प्रतिनिधियों व सरकार के सामूहिक प्रयत्नों पर निर्भर है। मुझे विश्वास है कि आगामी वर्ष में सरकार के प्रयत्नों व आप सबके सहयोग से आर्थिक विकास एवं जनकल्याण के कई महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकेंगे।

71. इस सत्र का मुख्य कार्य जिसके लिए आपको आमंत्रित किया गया है, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर विचार-विमर्श करना एवं उसे पारित करना है। मुझे विश्वास है कि बजट पर विचार-विमर्श करते समय आप राज्य के चहुंमुखी विकास की ओर ध्यान रखेंगे जिसके लिए हम सभी कटिबद्ध हैं। राजस्थान सरकार इस सत्र में संविधान (44वां संशोधन) विधेयक, 1977, अनु-समर्थन हेतु प्रस्ताव, राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978, राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1978, राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978, राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 1978, राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1978, राजस्थान भिक्षावृत्ति उन्मूलन विधेयक, 1978, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1978, राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1978 एवं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन तथा विधि मान्यकरण) विधेयक, 1978 आपके समक्ष विचार-विमर्श एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी।

72. जनहित में आप सबका सहयोग प्राप्त हो तथा आपके सहयोग से प्रदेश के आर्थिक विकास का पथ प्रशस्त हो यही मेरी कामना है।

जयहिन्द।